



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-यू.पी.-अ.-29052026-272920
CG-UP-E-29052026-272920

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2584]

नई दिल्ली, बुधवार, मई 27, 2026/ज्येष्ठ 6, 1948

No. 2584]

NEW DELHI, WEDNESDAY, MAY 27, 2026/JYAISHTHA 6, 1948

रेल मंत्रालय

[उत्तर मध्य रेलवे (निर्माण विभाग)]

अधिसूचना

प्रयागराज, 25 मई, 2026

का.आ. 2677(अ).—केन्द्रीय सरकार, रेल अधिनियम, 1989 की धारा 2 के खंड (37 क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, इस अधिनियम के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से नीचे दी गई सारणी के स्तंभ (3) में उल्लिखित राज्य में उक्त सारणी के स्तंभ (2) में यथा उल्लिखित निम्नांकित परियोजना को विशेष रेल परियोजना के रूप में अधिसूचित करती है।

सारणी

विशेष रेल परियोजना

क्रम सं. परियोजना का नाम

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र

(1)

(2)

(3)

1. बीना-झाँसी-धौलपुर चतुर्थ लाइन

मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश एवं राजस्थान

[फा. सं. एन.सी.आर.-एच.क्यू.शून्य. सी.ई.एन.जी.(जन)/13/2026-ओ/ओ डी.वाई.सी. ई./सी-II जे. एच. एस. (कम्प्यूटर क्र.169328)]

राजकुमार वानखेडे, मुख्य प्रशासनिक अधिकारी (निर्माण)

MINISTRY OF RAILWAYS
[North Central Railway (Construction Organization)]

NOTIFICATION

Prayagraj, the 25th May, 2026

S.O. 2677(E).—In exercise of the powers conferred by clause (37A) of Section 2 of the Railways Act, 1989, the Central Government hereby notifies the following project as Special Railway Project, as mentioned in column (2) of the table, with effect from the date of publication of the notification in the Official Gazette.

TABLE

Special Railway Project

Sl. No.	Name of Project	State/UT
(1)	(2)	(3)
1.	Bina-Jhansi-Dholpur 4th line	Madhya Prades, Uttar Pradesh & Rajsthan

[F. No. NCR-HQ0CENG(GEN)/13/2026-O/o Dy.CE/C-II/JHS (Computer No. 169328]
RAJKUMAR WANKHEDE, Chief Administrative Officer (Construction)